3-9-19 [illegible] रेलवे० उदयपुर।
[illegible] अपील अन्तर्गत
[illegible] । अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार [illegible] 1-10-19
[illegible]

1-10-19 पत्रावली पेश। पक्षीय अपीलार्थी की पक्षीय अपीलार्थी को डा० पत्र 041/R19 CPC 19 आर्डर 15 CPC पर सुना गया। बाकी आदेश डा० पत्र दिनांक 3-10-19 को पढ़ा जावे।

3-10-19 पत्रावली आज आदेश 041/R19 CPC सपठित आर्डर 15 CPC पर अपीलार्थी के निवेदन, 041/R19 के प्रावधानों व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत DNJ 2012(3) (Raj) पेज 1391 की रोशनी में न्यायहित में 041/R19 का निवेदन स्वीकार किया जाकर अपील सं. 54/2002 के पारित निर्णय दि० 19-1-18 समाप्त किया जाकर अपील सं. 54/2002 को पुनः अंकन पर लिया जाने का आदेश दिया जाता है। अपील पुनः स्वीकारी जाकर अपीलार्थी रेलवे के रजिस्टर्ड नोटिस 7 दिवस में भेजा जावे। निर्णय पर से स्थगन हटाया गया। पत्रावली फौरन शुमार होकर अंकन बाद नवीन नम्बर से रजिस्टर्ड की जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी सीकर